कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2977 /11–सी–FP/UP/Min/47074/2020, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 07 ,2026

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर मण्डल,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला, सोनभद्र द्वारा कजराहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अंतर्गत 331.475 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु लीज पर वनभूमि हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14116 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–8–26/2021–एफ0सी0, दिनांक 14.11.2022, पत्र दिनांक 27.11.2023 एवं आपका पत्रांक–3677/मी0क्षे0/33, दिनांक 01.04.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण का ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रयोक्ता एजेंसी एवं आपके स्तर पर निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. ऑनलाइन अपलोड की गयी प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल Empty है तथा वह ओपन नहीं हो रही है।
2. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
3. बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी का Entire Tree Transplant (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
4. ऑनलाइन के क्रमांक–L(iii), No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation में 4 फीड है, जबकि गैर वनभूमि तीन जिले में ही उपलब्ध करायी जा रही है। अतः सही संख्या फीड करें।
5. मीरजापुर जनपद में उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि का Cadestral मैप अपलोड नहीं है।
6. CAT Plan उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है, जोकि पर्याप्त नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित CAT Plan अपलोड करें।
7. Mitigation Plan उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है, जोकि पर्याप्त नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित Mitigation Plan अपलोड करें।
8. ऑनलाइन के Additional Information Detail में अपलोड ई0डी0एस0 लेटर में त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को हटाते हुये भारत सरकार के उपरोक्त ई0डी0एस0 का संशोधित उत्तर अपलोड करें।
9. ऑनलाइन के Additional Information Detail में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण वृक्षारोपण प्राक्कलनों को डिलीट करें क्योकि वृक्षारोपण प्राक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड किया जाना होगा।

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. ऑनलाइन के क्रमांक–13(iv) में अपलोड प्रस्तावित वृक्षारोपण का प्राक्कलन ओपन नहीं हो रहा है।
2. ऑनलाइन के Additional Information Detail में अपलोड प्रस्तावित सी0ए0 का प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।
3. मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से सम्बन्धित 121.192 हे0 गैर वनभूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण का प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी दर 237 रू0 एवं वर्तमान एस0ओ0आर0 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित प्राक्कलन अपलोड करें।
4. ओबरा, रेनुकूट एवं सोनभद्र वन प्रभाग से सम्बन्धित 295.42 हे0 अवनत वनभूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण का प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी दर 237 रू0 एवं वर्तमान एस0ओ0आर0 के अनुसार नहीं है तथा प्राक्कलन के कुछ चरणों में अथवा में जो धनराशि ली गयी है वह भिन्न है। अतः संशोधित प्राक्कलन अपलोड करें।
5. चित्रकूट वन प्रभाग से सम्बन्धित 40.254 हे0 गैर वनभूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सभी चरणों में मजदूरी दर में वृद्धि अलग से लिया गया है, जोकि गलत है। प्राक्कलन के अग्रिम मृदा कार्य में गढढे की दर गलत ली गयी है। प्राक्कलन के वृक्षारोपण कार्य में कार्य के विवरण के अनुसार बोरिंग की दर गलत ली गयी है। प्राक्कलन का सारांश 10 प्रतिशत महंगाई दर के आधार पर गुणांक के अनुसार नहीं है तथा प्राक्कलन में गैर वनभूमि का विवरण एवं वैधानिक स्थिति का उल्लेख नहीं है। अतः संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें।

6. चित्रकूट वन प्रभाग से सम्बन्धित 21.13 हे0 एवं 10.81 हे0 गैर वनभूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सभी चरणों में मजदूरी दर में वृद्धि अलग से लिया गया है, जोकि गलत है। प्राक्कलन का सारांश 10 प्रतिशत महंगाई दर के आधार पर गुणांक के अनुसार नहीं है तथा प्राक्कलन में गैर वनभूमि का विवरण एवं वैधानिक स्थिति का उल्लेख नहीं है। अतः संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें।
7. सी0ए0 चेक लिस्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
8. आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.11.2022 द्वारा वांछित 08 बिन्दुओं की सूचना एवं दिनांक 27.11.2023 द्वारा वांछित 03 बिन्दुओं की सूचना का बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।
9. पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।

भवदीय

07.04

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2977 /11–सी–FP/UP/Min/47074/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. सी0ओ0ओ0, मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, यूनिट–डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस0एच0–5 पोस्ट–डाला, जनपद–सोनभद्र।
3. श्री उत्कर्ष रघुवंशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ग्रुप कारपोरेट आफेयर, आदित्य बिड़ला ग्रुप, 35 बी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

07.04

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।